UPSH040262422022

न्यायालय–अपर सिविल जज, एस०डी०/ए०सी०जे०एम०, कक्ष संख्या–20, शाहजहाँपुर।

परिवाद संख्या–1069/2024

दीपक गुप्ता बनाम शौकीन सिंह आदि।

थाना–सदर बाजार, जिला– शाहजहॉपुर।

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु कई बार अवसर दिया गया, फिर भी परिवादी पत्रावली पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० नियत है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.09.2022 से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा निगरानी माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–11, शाहजहाँपुर में योजित की गई। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.09.2022 को पुष्ट करते हुए परिवादी का निगरानी निरस्त कर दिया गया। तब से विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त परिवाद के संचालन में अब कोई रूचि नहीं रह गया है। उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद धारा 203 दं०प्र०सं० के अंतर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–16.07.2025

(अवन्तिका प्रभाकर)
अपर सिविल जज, एस०डी०/ए०सी०जे०एम०,
कक्ष संख्या–20, शाहजहाँपुर।
J.O. Code–UP2618

Digitally signed by AVANTIKA PRABHAKAR
Date: 2025.08.02 12:58:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court